

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
श्रावस्ती/फर्रुखाबाद/हमीरपुर/पीलीभीत/
इटावा/लखनऊ/कानपुर नगर/कानपुर देहात/
रायबरेली/प्रतापगढ़।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2013

विषय: जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सोशल आडिट प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना।

महोदय,

मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष में जून, 2013 से सितम्बर, 2013 तक के बीच उन सभी ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट सम्पन्न कराया जाना है जिनमें मनरेगा के अर्न्तगत वर्ष 2011-12 या 2012-13 में रू0 10.00 लाख या उससे अधिक का व्यय हुआ हो। सोशल आडिट के दायित्वों का निर्वाह भारत सरकार की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के अर्न्तगत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा किया जाना है।


2- जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आपको शासनादेश सं0 2245/अडतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक 4-10-2012 द्वारा निर्देश भेजे गए हैं। तदुपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा शासनादेश संख्या 2962/अडतीस-7-12-324 नरेगा/2012 टी0सी0 दिनांक 9-1-2013 द्वारा तत्परता से कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। किन्तु यह खेदजनक है कि अभी तक आपके जनपद में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर की नियुक्ति नहीं की गयी है और ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के पद भी रिक्त हैं।

3- प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय फेज के अर्न्तगत अनेक जनपदों में सोशल आडिट की प्रक्रिया को गति दिया जा रहा है किन्तु आपके जनपद में जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की नियुक्ति न हो पाने के कारण ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट ग्रामसभा की तिथियाँ निर्धारित करते हुए सोशल आडिट के लिए कलेण्डर जारी किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

4- अतः आपके जनपद में ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट प्रारम्भ हो सके, इस हेतु आपसे अपेक्षित है कि कृपया अपने जनपद में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। साथ ही जिन विकास खण्डों में वर्ष 2012-13 में रू0 1.00 करोड़ या उससे अधिक व्यय हुआ हो, उनमें ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के रिक्त पदों को भी अतिशीघ्र भरें। नियुक्तियाँ होते ही इसकी

सूचना निदेशक, सोशल आडिट को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें, ताकि निदेशालय द्वारा आपके जनपद में नवनियुक्त जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कलेण्डर जारी किया जा सके।

भवदीय,



(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2300(1)/अड्टीस-7-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से



(अशोक कुमार)

विशेष सचिव।